

रीवा, सतना एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित



: ब्रीफ वॉक्स :

महाराष्ट्र पीएससी पेपर लीक की जांच के लिए कमेटी बनी

तुकाराम मुंडे सेक्रेटरी नियुक्त; चेयरमैन छुट्टी पर गए, 10 दिन बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन खत्म

पुणे, एजेंसी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग (MPSC) में सुधार के लिए रविवार को एक कमेटी बनाई। इसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के मिशनर तुकाराम मुंडे को सदस्य सचिव बनाया गया है। इसके बाद कैडिडेट्स ने 10 दिन से चल रहा प्रदर्शन खत्म कर दिया। राज्य के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को कमेटी बनाने की जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज दिलीप भोसले होंगे। इसमें आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आईएएस अधिकारी गणेश पाटिल और रिटायर्ड जज पीडी नाइक भी शामिल होंगे। दरअसल, छत्रपति संभाजीनगर में 30 जून को MPSC की परीक्षाएं कंप्यूटर पर कराने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया था।

मणिपुर में व्यक्ति का कटा सिर लौटाने की मांग

सरकार को नगा संगठन का 48 घंटे का अल्टीमेटम,

गुवाहाटी, एजेंसी। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में 52 साल के अजिनबोउ आर की हत्या के बाद उनका कटा सिर लौटाने की मांग उठी है। नगा संगठन जॉइंट ट्राइब्स काउंसिल मणिपुर ने केंद्र और राज्य सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। संगठन ने कहा है कि सिर मिलने तक पोस्टमॉर्टम नहीं होने दिया जाएगा। अजिनबोउ की शनिवार को मकुई अशांग गांव में उग्रवादी हमले में हत्या हुई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हथियारबंद लोगों के बीच उनका कटा सिर दिखा था। बिना सिर वाला शव रविवार रात इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया। मणिपुर में नगा-कुकी हिंसा में शुक्रवार और शनिवार को 10 लोगों की मौत हुई। तनाव के चलते कांगपोकपी और कामजोंग जिलों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगाया गया।

होर्मुज के पास जहाज पर ड्रैन हमला, 2 भारतीय लापता

तेहरान, एजेंसी। होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय कू वाले जहाज एफटी प्रेडो ऑफिसर पर रविवार को ड्रेन से हमला हुआ। जहाज पर सवार 11 भारतीय नविकों में से 9 को बचा लिया गया, जबकि 2 अब भी लापता हैं। हमले के पीछे कौन है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पिछले 3 दिनों में इस क्षेत्र में भारतीय कू वाले 3 जहाजों पर हमले हुए हैं। इनमें से एक हमला रविवार को ही एमटी वाल्थेन पर हुआ था जबकि दूसरा हमला 9 अक्टूबर को एमटी जेम नंबर 2 पर हुआ। भारत ने जहाजों पर होने वाले हमले तुरंत रोकने को कहा है।

जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं होगा, सरकार ने रोक लगाई

सीजेपी ने यहीं 36 दिन धरना दिया था • धर्मद प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं हो सकेगे। केंद्र सरकार ने इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल की लिस्ट से हटा दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से एक कमेटी गठित की गई थी। इसकी सिफारिश के आधार पर दिल्ली का रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड प्रदर्शन स्थल बनाए गए हैं।

कॉकरोच जनता पार्टी ने CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SAIR पर रोक की मांग को लेकर सोमवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की परमिशन मांगी थी। पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। इससे पहले CJP ने 20 जून से 25 जुलाई तक NEET पेपर लीक के मुद्दे पर धर्मद प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन किया था। 36 दिन तक चले इस प्रदर्शन के दौरान

गृह मंत्रालय ने कमेटी बनाई थी... गृह मंत्रालय ने विरोध-प्रदर्शन और धरना आयोजित करने के लिए वैकल्पिक स्थानों की पहचान करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई थी। समिति की सिफारिशों के बाद इन तीनों स्थानों को प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया है।

प्रदर्शन आयोजित करने की प्रक्रिया और नियमों को लेकर संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अलग से जारी की जाएगी। फिलहाल आदेश में इन दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है।

सीजेपी का दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम

कहा- प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली तो फिर आंदोलन करेंगे; दीपक बोले- हिरासत का अधूरा वीडियो दिखाया

नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उसने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की तारीख नहीं मिली तो फिर आंदोलन करेंगे। CJP के सह-संयोजक आशुतोष रांका और सौरव दास सोमवार को प्रदर्शन की अनुमति मांगने पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इसी बीच, CJP फाउंडर अभिजीत दीपक ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने हिरासत का वीडियो एडिट करके जारी किया है। उन्होंने कहा- हिम्मत है तो पूरा वीडियो दिखाओ। दीपक के मुताबिक, दादी की मौत की खबर सुनने के बाद उन्होंने

अपने चचेरे भाई से बात करने देने की अपील की। दो मिनट के लिए फोन देने के लिए भी कहा लेकिन पुलिस ने इजाजत नहीं दी। दीपक, रांका और दास को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर

हिरासत में लिया गया था। वे जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे। रविवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद तीनों को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त भी रखी। आशुतोष रांका बोले- पुलिस को लेकर देकर प्रदर्शन की इजाजत मांगी सीजेपी लीडर आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पुलिस को लेकर देकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति मांगी है। उन्होंने पुलिस को प्रदर्शन की तारीख तय करने का ऑर्शन भी दिया है।

समुद्र में दुश्मनों की पनडुब्बियों का काल बनेगा स्वदेशी युद्धपोत ‘मंगरोल’

भारतीय नौसेना के बेड़े में हुआ शामिल

मुंबई, एजेंसी। भारतीय नौसेना ने सोमवार को मुंबई में अपने तीसरे एटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट मंगरोल को बेड़े में शामिल (कमिशन) कर लिया है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) द्वारा निर्मित यह स्वदेशी युद्धपोत उथले और तटीय पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें तबाह करने में सक्षम है।

80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री से

निर्मित इस पोत के शामिल होने से नौसेना की बंदरगाहों और तटीय इलाकों की सुरक्षा करने और बड़े बेड़े के अभियानों में मदद करने की क्षमता बढ़ेगी। समुद्री सुरक्षा के बदलते परिदृश्य और पानी

के नीचे बढ़ते खतरों के बीच, 'मंगरोल' का बेड़े में शामिल होना भारतीय नौसेना की एंटी-सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर तटीय और उथले समुद्री इलाकों में। मुंबई में आयोजित इस कमिशनिंग समारोह की अध्यक्षता वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लींग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वाइस एडमिरल संजय वत्सयान ने की।

तेलंगाना सीएम बोले- कांग्रेस राम और भाजपा रावण

पणजी, एजेंसी। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने गोवा में कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करते हुए रामायण का उदाहरण देकर कांग्रेस और भाजपा की तुलना की। उन्होंने कहा कि भाजपा रावण है, जो लोगों को बांट रही है, जबकि कांग्रेस राम है। अगर आप रावण को हराना चाहते हैं, तो आपको राम का समर्थन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि 2027 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आएगी।

योगी बोले: कांग्रेस को नेतृत्व बदलाना चाहिए:सपा को किसानों का श्राप ले डूबा

गोरखपुर में 9.18 लाख किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए

गोरखपुर, एजेंसी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए अराजकता फैलाने से बाज नहीं आई तो जनता उसका बचा-खुचा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त कर देगी। योगी ने कहा कि कांग्रेस को अपना नेतृत्व बदलना चाहिए। जिस नेतृत्व पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है, उसे

गोरखपुर में 9.18 लाख किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए

गोरखपुर में 9.18 लाख किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए

गोरखपुर में 9.18 लाख किसानों के खातों में 493 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए

देश में पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल से बिजली सप्लाई होगी

आईआईटी बॉम्बे ने बनाया, केरलम में शुरुआत; इससे बिजली बिल में 30% की कमी आई

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV से यात्रा करने के साथ उसकी बैटरी का इस्तेमाल घर में बिजली सप्लाई करने के लिए भी कर सकते हैं। बॉम्बे की ग्रिड इंटीग्रेशन लैब ने IIT के पेंसल में तीन साल तक प्रयोग किए। इस दौरान दिन में इलेक्ट्रिक कार सोलर पैनल से चार्ज होती और रात में एक प्रोफेसर के घर में बिजली सप्लाई करती। इसने घर के सभी उपकरणों

टू होम और वापस ग्रिड को बिजली भेजने को व्हीकल टू ग्रिड कहते हैं। IIT बॉम्बे ने देश में पहली बार यह प्रोजेक्ट बनाया। अब केरलम में इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। केरलम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने IIT बॉम्बे के साथ जुलाई 2025 में एमओयू साइन किया। इसके तहत 100 से ज्यादा EV को वी2जी तकनीक से जोड़कर उनकी बैटरी की बिजली घरों में

का लोड उठाना और प्रोफेसर के बिजली बिल में करीब 30% की कमी भी आई। EV की बैटरी से घर में बिजली सप्लाई करने को व्हीकल

सऊदी अरब पर 10 साल में सबसे बड़ा हमला

हूती विद्रोहियों ने रियाद एयरपोर्ट पर मिसाइल दागी, भारतीय समेत 13 लोगों की मौत

रियाद/नई दिल्ली, एजेंसी। यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार रात सऊदी अरब में रियाद एयरपोर्ट पर हमला किया। इसमें एक भारतीय समेत 13 लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। इसके बाद सऊदी सरकार ने रियाद एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन रोक दिया। हालांकि अगले ही दिन रविवार को हूती विद्रोहियों ने घरेलू उड़ानों के लिए

इस्तेमाल होने वाले टर्मिनल पर हमला कर दिया। इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हो गई। 10 अक्टूबर को रियाद एयरपोर्ट पर हुआ हमला पिछले

एक दशक में सऊदी अरब पर सबसे बड़ा हमला था। इससे पहले मई 2015 में एक सऊदी के कातिफ में एक शिया मस्जिद पर हमला हुआ था जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी।

केरलम मिनी कूपर हादसे के बाद बोला ड्राइवर-पापा संभाल लेंगे

3 स्टूडेंट्स की मौत; बर्तड़े पर मिली थी लगजरी कार, 200किमी. की स्पीड से चलाता था

कोच्चि, एजेंसी। केरलम के कोच्चि में तेज रफ्तार मिनी कूपर कार की टक्कर से तीन लोगों की मौत मामले में ड्राइवर का बयान सामने आया है। चरमदीयों के मुताबिक हादसे के बाद जब उन्होंने आरोपी कार चालक सुहैल सजीव को रोका तो उसने कहा कि उसके पिता सब संभाल लेंगे। कोच्चि के नेटवर्कसेरी इलाके में रविवार रात मिनी कूपर कार ने स्कूटर को पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में स्कूटर सवार तीन छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान 21 साल के इयास, देविका और गोपिका के रूप में हुई है। पुलिस ने सुहैल को गिरफ्तार किया है और उसके तीन साथियों को भी आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक, सुहैल शराब के नशे में था। ये लगजरी कार उसकी मां ने जन्मदिन पर दी थी। उसके 200kmph से ज्यादा की रफ्तार से कार चलाने के वीडियो भी सामने आए हैं। सुहैल और उसके तीनों दोस्त नशे में थे पुलिस के अनुसार, हादसे के वक्त कार में सुहैल के अलावा निनव, अमीर और निनव ने एनाकुलम के एक बार में शराब भी थी। बाद में अमीर और

तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोग... चरमदीय सलीम ने बताया कि हादसे के समय वे घटनास्थल के पास खड़े थे। अचानक तेज आवाज सुनाई दी। इसके बाद आसपास मौजूद लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। वहां उन्होंने सड़क पर तीन लोगों को घायल हालत में पड़ा देखा। कुछ देर बाद पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची।

जोएल भी उनके साथ शामिल हो गए। दोनों एयरपोर्ट पर अपने दोस्त को लेने पहुंचे थे, लेकिन फ्लाइट में देरी होने के कारण वे सुहैल के साथ मिनी कूपर में तेज रफ्तार से घूमने निकल गए। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार में सवार दो लोग मौके से भाग गए थे। उन्हें स्थानीय पुलिस की मदद से अलपुझा से हिरासत में लिया गया। मामले में सुहैल मुख्य आरोपी है, जबकि निनव, अमीर और जोएल पर अपराध में मदद करने का आरोप है।

संक्षिप्त समाचार

धीरेन्द्र शास्त्री के मैहर प्रवास को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज, कार्यक्रम से एक दिन पहले तैनात होगा पुलिस बल

मीडिया ऑडीटर,मैहर (निप्र)। बांशेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तीन दिवसीय मैहर प्रवास को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है पुलिस अधिकारियों ने आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की है। आईजी गौव रजपूत ने बताया कि पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम मैहर स्थित केजेएस में आयोजित होगा। कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीआईजी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की जा चुकी है इसमें सुरक्षा संबंधी आवश्यक इंतजामों और श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई आईजी गौव रजपूत के अनुसार कार्यक्रम शुरू होने से एक दिन पहले पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी, ताकि आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित की जा सके पुलिस प्रशासन का प्रयास रहेगा कि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो और श्रद्धालुओं को पेशानी का सामना नहीं करना पड़े तीन दिवसीय प्रवास के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही बढे की संभावना को देखते हुए पुलिसकर्मियों की तैनाती और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने पर जोर दिया जा रहा है। आयोजन स्थल के आसपास भी सुरक्षा प्रबंधों को लेकर सतर्कता बरती जाएगी।

● **यातायात व्यवस्था पर रहेगा विशेष ध्यान:** कार्यक्रम में संभावित भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की आवाजाही के दौरान जाम की स्थिति न बने, इसके लिए आवश्यक प्रबंध किए जाने की तैयारी है। पुलिस अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा के साथ यातायात प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में शामिल किया गया।

● **अधिकारियों ने तैयारियों को लेकर बखूई सतर्कता:** पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मैहर प्रवास को देखते हुए पुलिस प्रशासन आयोजन से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी करने में जुट है वहीं अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है ताकि तीन दिवसीय कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके आईजी गौव रजपूत ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम से पहले पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है हालांकि पुलिस बल की संख्या, यातायात मार्ग में बदलाव और अन्य विस्तृत व्यवस्थाओं के संबंध में अभी अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

ओम सोनेजा और मनीषा सोनेजा के निधन से सिंधु विकास समिति में शोक, सभा आयोजित कर दी श्रद्धांजलि

मीडिया ऑडीटर,सतना (निप्र)। समाजसेवी एवं सिंधु विकास समिति के सक्रिय सदस्य ओम सोनेजा और उनकी पत्नी श्रीमती मनीषा सोनेजा के आकस्मिक निधन की खबर से समिति परिवार में शोक की लहर छ गई दोनों के निधन पर सिंधु विकास समिति के सदस्यों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए समिति कार्यक्रमों में शोकसभा आयोजित की इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोककुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की शोकसभा में सदस्यों ने ओम सोनेजा और मनीषा सोनेजा के निधन को समाज एवं समिति के लिए अपूरणीय क्षति बताया उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और परिवार को इस कठिन समय में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कम्ना की समिति परिवार की ओर से प्रार्थना की गई कि ईश्वर दोनों पुण्यात्माओं को अपने शीरचरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस असहनीय दुख से उबले का संबल प्रदान करें।

● **समिति सदस्यों ने दी श्रद्धांजलि:** शोकसभा में समिति के संरक्षक श्रीचंद मन्वानी, गोपी गेलानी, मनोहर डिग्वानी, विनोद गेलानी, ज्ञान खटवानी, इन्द्रलाल आडवाणी, श्रीचंद शीतलानी, चन्प्रश्याम मंसरी, मनीष टैक्वानी, संजय वाधवानी, मेक्षा शक्वानी, गंगाराम सचदेव, दिलीप सोनी, मनोज सुखदानी, जितेंद्र गावरी, अमित कमरानी, रंजीत सेनानी, गोपीचंद कापड़ी, बसंत खत्री, विजय जयसी, कमल पुरखानी, अशोक चंदवानी, राजकुमार साधवानी, सुधीर आहूजा, केशव माखोजी, दीपक वाधवानी, अमित घोषवानी, अनिल मोटवानी और पंकज आहूजा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सिंगरौली में चोरी के शक में 3 नाबालिगों से मारपीट, आधा सिर मुंडवाने का आरोप

मीडिया ऑडीटर,सिंगरौली (निप्र)। जिले के बरगावां थाना क्षेत्र के एक गांव में मोटर चोरी के शक में तीन नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट करने और उनके आधे सिर के बाल मुंडवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि 1 अक्टूबर को बच्चों को जबरन से जाकर बंधक बनाया गया और अपमानित किया गया। परिजनों के मुताबिक, घटना के बाद बच्चे डरे हुए हैं और स्कूल जाना छोड़ दिया है। परिवार ने बरगावां थाने में सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए सोमवार को एसपी कार्यालय और अजाक थाने में शिकायत की। एसपी शियाज केएम ने बरगावां थाना प्रभारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में सीधी को राष्ट्रीय सम्मान, केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौंपी ट्रॉफी

फसल कटाई के बाद उपज के भंडारण में उत्कृष्ट कार्यों को मिली राष्ट्रीय पहचान, कलेक्टर विकास मिश्रा ने प्राप्त किया सम्मान



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मध्यप्रदेश के सीधी जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है नई

दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा को ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जिले को यह सम्मान फसल कटाई के

बाद कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण की क्षमता बढ़ाने और बेहतर प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए मिला है इस उपलब्धि को जिले में कृषि अधोसंरचना के विकास और किसानों के हित में किए जा रहे

प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान के रूप में देखा जा रहा है कार्यक्रम में उप संचालक कृषि आरएस गुप्ता, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक शैलेन्द्र गौतम, अनुविभागीय कृषि अधिकारी अंकिता तिवारी तथा प्रगतिशील कृषक विपिन शुक्ला उपस्थित रहे।

देश के 100 चयनित जिलों में शामिल है सीधी: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल इसके तहत देश के 100 चयनित जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से काम किया जा रहा है सीधी जिले में भी योजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है योजना के तहत कृषि उत्पादकता में वृद्धि,

फसल विविधीकरण, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, कृषि ऋण की उपलब्धता और कृषि उपज के सुरक्षित भंडारण जैसे प्रमुख उद्देश्यों पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

एफपीओ और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा: योजना के डैशबोर्ड पर उपलब्ध अगस्त 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में आठ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) एवं सहकारी संस्थाओं को सहयोग दिया गया है इसके अलावा एक बल्क मिल्क कूलर स्थापित किया गया और आठ डेयरी सहकारी समितियों एवं मिल्क पुलिंग पॉइंट का संचालन दर्ज किया गया जिले में 15 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सहायता मिली जिनमें एक महिला सूक्ष्म उद्यम भी शामिल है। इन प्रयासों

से कृषि आधारित व्यवसायों, दुग्ध संग्रहण एवं शीतलन सुविधाओं और ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है।

विभागों पर समन्वय से कृषि विकास को गति: योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, उद्यानिकी, सिंचाई और राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन सहित संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है गुणवत्तापूर्ण बीज, किसान प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और कृषि उपज के बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है फसल कटाई के बाद उपज का सुरक्षित भंडारण होने से गुणवत्ता बनाए रखने, नुकसान कम करने और किसानों को उपज के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है इसी दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सीधी जिले को मिला राष्ट्रीय सम्मान जिले के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है।

सीधी में मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू, बैगा जनजातीय परिवारों को घर के पास मिलेगा इलाज

सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर कुसमी के लिए किया रवाना, दूरस्थ गांवों में जांच, उपचार और दवाइयों की मिलेगी सुविधा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिले के आदिवासी विकासखंड कुसमी के दूरस्थ से दुर्गम गांवों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी इस अवसर पर देव कुमार सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे, जिला चिकित्सालय के चिकित्सक और मोबाइल



मेडिकल यूनिट का स्टाफ मौजूद रहा सांसद ने यूनिट में उपलब्ध चिकित्सकीय उपकरणों, दवाइयों और अन्य स्वास्थ्य सामग्रियों का निरीक्षण किया साथ ही यूनिट के नियमित एवं प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सेवा संकल्प अधियान के तहत पहल: मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन सेवा संकल्प अधियान की भावना के अनुरूप किया जा रहा है अधियान का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है इस पहल से उन ग्रामीण परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है जिन्हें दूरी आवागमन के साधनों की कमी और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अस्पताल पहुंचने में पेशानी होती

है सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल दूरी या संसाधनों की कमी के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए बैगा जनजातीय समुदाय सहित जकरामंद परिवारों को समय पर जांच, उपचार और दवाइयां उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने यूनिट के नियमित संचालन पर जोर देते हुए कहा कि इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से कुसमी विकासखंड के दूरस्थ गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे इन शिविरों में मरीजों की जांच, प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाओं का वितरण किया जाएगा।

सीधी में भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला फूँका, सांसद और जिलाध्यक्ष रहे मौजूद



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया कार्यक्रम में सीधी-सिंगरौली सांसद डॉ. राजेश मिश्रा और भाजपा जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान मौजूद रहे हालांकि, प्रदर्शन में अपेक्षाकृत कम संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और वाटर

कैनन भी खड़ी की गई थी लेकिन पुतला दहन के दौरान पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया भाजपा ने यह प्रदर्शन कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम से जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विवाद को लेकर किया भाजपा नेताओं का आरोप है कि इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व ने अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की इसी मुद्दे पर पार्टी राहुल गांधी से जवाब मांग रही है प्रदर्शन के दौरान सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे दूसरों को नसीहत देते हैं लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं के मामलों में कार्रवाई नहीं करते उन्होंने कहा कि राहुल पार्टी सांसद में मांणपुर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अपने सांसद से जुड़े विवाद पर चुप्पी साधे हुए हैं।

पूर्व आईएफएस डॉ. एसपीएस तिवारी बने हिंदू धर्म परिषद के संरक्षक, अटल पार्क गरबा फेस्टिवल को भव्य बनाने का दिया भरोसा

17 से 19 अक्टूबर तक होगा गरबा फेस्टिवल-2026 का आयोजन, संगठन पदाधिकारियों ने जताई खुशी



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। हिंदू धर्म परिषद ने संगठन को मजबूत बनाने और आगामी आयोजनों को भव्य स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका उठाया है। परिषद के संस्थापक नारायण डिग्वानी, आजीवन संरक्षक अविजय

और अध्यक्ष संजय तिवारी 'मुन्नु' की अनुसंधान पर संगठन प्रभारी अवधेश श्रीवास्तव ने पूर्व नगर निगम आयुक्त एवं भोपाल के पूर्व सीसीएफ डॉ. एसपीएस तिवारी (आईएफएस) को परिषद के संरक्षक मंडल का सदस्य बनाने की घोषणा की है उनके संरक्षक मंडल में शामिल होने पर संगठन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है डॉ. एसपीएस तिवारी लंबे समय से धार्मिक एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। परिषद को उम्मीद है कि उनके अनुभव, मार्गदर्शन और सहयोग से संगठन की गतिविधियों की और विस्तार मिलेगा उनके जुड़ने से आगामी धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों को बेहतर ढंग से संचालित करने में भी सहायता मिलेगी।

गरबा फेस्टिवल को भव्य बनाने

में करेंगे सहयोग: संरक्षक मंडल का सदस्य बनाए जाने पर डॉ. एसपीएस तिवारी ने परिषद के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया उन्होंने आश्वासन दिया कि आगामी 17 से 19 अक्टूबर तक अटल पार्क में आयोजित होने वाले गरबा फेस्टिवल-2026 को भव्य बनाने के लिए वह पूर्ण सहयोग करेंगे हिंदू धर्म परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को फेस्टिवल के आयोजन प्रभारी हिमांशु सिंह सेंसर ने डॉ. एसपीएस तिवारी के संरक्षक मंडल में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनुभवी एवं कर्मठ व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलने से गरबा फेस्टिवल को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। परिषद का प्रयास है कि 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप दिया जाए।

शामिल किए जाने पर परिषद के मार्गदर्शक डॉ. सीबी शुक्ला, डॉ. केके पारंगद, डॉ. ज्योति सिंह, डॉ. नरेश बजाज और विजय मोहन तिवारी सहित संस्था के अन्य सदस्यों ने हर्ष व्यक्त किया सभी ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके मार्गदर्शन से परिषद की गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी गरबा फेस्टिवल के आयोजन प्रभारी हिमांशु सिंह सेंसर ने डॉ. एसपीएस तिवारी के संरक्षक मंडल में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनुभवी एवं कर्मठ व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलने से गरबा फेस्टिवल को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। परिषद का प्रयास है कि 17 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को व्यवस्थित और आकर्षक स्वरूप दिया जाए।

संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में दमखम दिखाने रीवा रवाना हुआ सीधी का दल

जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को किया रवाना, उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन करने की दी शुभकामनाएं



मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता करने के लिए सीधी जिले के खिलाड़ियों का दल रीवा के लिए रवाना हो गया जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता में खेल भावना, अनुशासन और समर्पण के साथ भाग लेने की अपील की रीवा में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में सीधी जिले के खिलाड़ी विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों

को अपनी खेल क्षमता साबित करने और संभाग स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया।

अनुशासन और खेल भावना के साथ करें प्रदर्शन: खिलाड़ियों को रवाना करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी पवन कुमार सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं खेलों से शारीरिक क्षमता के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना का विकास होता है उन्होंने खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के दौरान खेल भावना बनाए रखने और पूरे समर्पण के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ

प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने उम्मीद जताई कि सीधी जिले के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तथा जिले को गौरवान्वित करेंगे उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतियोगिता में जीत के साथ-साथ अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार भी महत्वपूर्ण है संभाग स्तरीय प्रतियोगिता विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने और अन्य जिलों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करती है ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है और उन्हें आगे की खेल प्रतियोगिताओं के लिए अनुभव प्राप्त होता है। सीधी

जिले के खिलाड़ियों का दल रीवा रवाना होने के दौरान उत्साह का माहौल रहा खिलाड़ियों को उम्मीद है कि वे प्रतियोगिता में अपने कौशल, मेहनत और टीम भावना का बेहतर प्रदर्शन करेंगे शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है संभाग स्तर पर सीधी जिले का प्रतिनिधित्व करने जा रहे खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा की जा रही है जिला शिक्षा अधिकारी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरने और खेल भावना का परिचय देने के लिए प्रोत्साहित किया।

देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे दृश्य हमने युद्धों के दौरान भी नहीं देखे। 1984 के सिख-विरोधी दंगे बेहद भयावह और जानलेवा थे। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी तालाबंदी थी, लेकिन नागरिक अधिकार तब भी जिंदा थे। 10 अक्टूबर, 2026 को इतिहास में एक काली, डरावनी, दमनकारी तारीख के तौर पर दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने सड़कों पर कीलें गाड़ दी थीं, ताकि कोई गाड़ी उन रास्तों से गुजरे, तो टायर में पंक्चर हो जाए। यह कैसा लोकतंत्र है? 7000 से अधिक युवाओं और कुछ नेताओं-सांसदों को हिरासत में लिया गया। रात होने लगी, तो उन्हें छोड़ भी दिया गया। राजधानी दिल्ली की चौरफा किलेबंदी की गई, सीमाएं लगभग सील कर दी गईं, ड्रेन उड़ते देखे गए मानो किसी बाहरी आक्रमण या आतंकी हमले की आशंका हो। मानो कोई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक आज़ादी की रक्षा हो

पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की सख्ती के उपरांत सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह बताता है कि कानून-व्यवस्था बनाये रखने के नाम पर संविधान द्वारा नागरिकों को मिली आजादी का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। कोर्ट द्वारा हिरासत में रखे लोगों को रिहा करने, मेट्रो सेवाएं बहाल करने तथा इंटरनेट सुविधा यथाशीघ्र चालू करने का निर्देश देकर कोर्ट ने साफ संदेश देने का प्रयास किया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन लोकतंत्र में एक मूलभूत अधिकार है, न कि सरकार द्वारा दी गई सुविधा। उल्लेखनीय है कि गत दस अक्टूबर को कांक्रोच जनता पार्टी और कुछ अन्य संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। जिसको रोकने के लिये दिल्ली सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा उपाय किए थे। इस दौरान सात हजार से अधिक लोगों को



हिरासत में लिए जाने को लेकर सवाल उठये गए। लोगों ने जगह-जगह सड़कों पर अनरोकथक लगाने, क्षेत्र के मेट्रो स्टेशनों पर बॉर्डर लगाने तथा प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सख्ती को लेकर चिंता जाहिर की। कहा गया कि पुलिस ने एहतियाती दायित्वों से बढकर आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। निस्संदेह, आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही अधिकारियों की बनती है। जब आंदोलन आदि के दौरान हिंसा होने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका हो तो आसन्न खतरों के मद्देनजर अधिकारियों की कार्रवाई करना बनता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि इन अधिकारों का उपयोग कानून की सीमाओं में ही किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र होने पर लोगों को हिरासत में लेना, निर्धारित निषेधाज्ञा वाले इलाकों से बहुत दूर तक आवाजाही पर प्रतिबंध लगाना, सार्वजनिक सेवाओं पर रोक लगें तो क्या यह आम लोगों को दंड देने जैसा नहीं है? तभी शीर्ष अदालत ने कोर्ट-परिसर के आस-पास रोक लगाने वाले नोटिस भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए। जिससे नागरिक-अधिवक्ता बिना किसी बाधा के यहां पहुंच सकें। दरअसल, विपक्षी दल लोगों को हिरासत में रखने और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच की भी मांग कर रहे हैं। निस्संदेह, पुलिस को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। बेशक, प्रदर्शनकारियों के साथ ही कानून लागू करने वाली एजेंसियों को भी जवाबदेह बनाया जाए। यह एक हकीकत है कि देश के लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता का भरोसा विश्वसनीय जवाबों, खुली व निष्पक्ष जांच और संस्थानत आजादी पर ही निर्भर करता है। वहीं एक मजबूत लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को लेकर संशय नहीं होना चाहिए। जरूरी है कि वह असंष्ट लोगों की शिकायतों को सुनें, असहमति का सम्मान करते हुए कानून-व्यवस्था बनाये रखें और अदालत के निर्देशों का सम्मान करें। निस्संदेह, शीर्ष अदालत ने एक महत्वपूर्ण सीमा-रेखा खींची है। इसी आलोक में सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों में संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता का अतिक्रमण न हो। हालांकि, सीजेपी व विपक्ष के तैवरों को देखते हुए यह करना आसान भी नहीं होगा।

काँकरोचों के डर से किलेबंदी

विदेशी आक्रांता हमारे देश को लूटने आ रहा हो! मेट्रो ट्रेन के 45 स्टेशन बंद किए गए। न प्रवेश, न ही निकास और न ही इंटरचेंज...! करीब 62 लाख लोग हररोज मेट्रो के जरिए इधर से उधर जाते हैं। कल्पना करें, कितने लोगों के पांव बांध दिए गए होंगे! करीब 250 ट्रेन रद्द कर दी गईं, जो दिल्ली से अन्य राज्यों को जाती थीं और वहां से दिल्ली की ओर आती थीं। लाखों भारतीय 'बंधक' बनकर रह गए होंगे! बताया जाता है कि करीब 2 लाख रेल-यात्री प्रभावित हुए हैं। करीब 38,000 जवान, अर्द्धसैन्य बल और अन्य बलों के जवान दिल्ली में चारों तरफ तैनात कर दिए गए। नतीजतन 'जंतर-मंतर' तक कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन कर्नाट प्लेस की गलियों में युवा नारेबाजी करते रहे। पुलिस से कई जगह टकराव भी हुए, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वे भी देश की ताकत हैं। अहम

सवाल है कि क्या कांक्रोचों से इतने खतरे या उपद्रवों की आशंकाएं थी? क्या खुफिया एजेंसियों ने भी ऐसी रपटें दी थीं कि कांक्रोच राजधानी में उपात मचा सकते हैं और काट कर जहर फैला सकते हैं? सर्वोच्च अदालत की प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली न्यायिक पीठ ने कहा था कि मक्खी को मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं। मेट्रो, ट्रेनें, सड़कें, परिवहन आदि के कारण आम नागरिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार धरने-प्रदर्शन को वैकल्पिक जगह तय कर सकती है। चूँकि सरकार और पुलिस ने सर्वोच्च

जंगल को बचाने वाली पौधियां आज अपने ही जंगल पर अधिकार साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। जिन आदिवासी और परंपरागत वनवासी समुदायों ने जंगलों के साथ जीना सीखा, उनकी रक्षा की और अपनी संस्कृति को प्रकृति के साथ विकसित किया, उन्हें आज भी अपनी जमीन और आजीविका के लिए कानूनी मान्यता का इंतजार करना पड़ रहा है। यह केवल प्रशासनिक उदासीनता का मामला नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक अन्याय का विस्तार है, जिसे दूर करने के लिए वनाधिकार अधिनियम, 2006 बनाया गया था। कानून लागू हुए करीब दो दशक बीत चुके हैं, लेकिन सवाल जस का तस है—क्या वनवासियों को उनका हक मिला, या अधिकारों की घोषणा के बाद उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं के हवाले छोड़ दिया गया? 9 अक्टूबर 2026 को कोलकाता में वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन पर आयोजित दूसरे क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन ने इस सवाल को फिर सामने ला दिया। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश को वनाधिकार पत्रों के डिजिटलीकरण, सरकारी अभिलेखों में उनके दर्जीकरण और लाभार्थियों को आजीविका योजनाओं से जोड़ने के अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सितंबर में बेंगलुरु में आयोजित पहला क्षेत्रीय सम्मेलन इसी समीक्षा प्रक्रिया की अगली कड़ी था।

सम्मेलन का उद्देश्य लंबित दावों के निपटारे में आने वाली बाधाओं को पहचानना और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के रास्ते तलाशना था। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि समीक्षा बैठकों से निकलने वाले निर्णय उन गांवों तक कब पहुंचेंगे, जहां लोग पीढ़ियों से जंगल पर निर्भर हैं? किसी सम्मेलन की सफलता अधिकारियों की प्रस्तुतियों या जारी निर्देशों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होनी चाहिए कि कितने वांछित परिवारों को अधिकार मिला और कितने समुदायों की ज़िंदगी में वास्तविक बदलाव आया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक देशभर में 54,01,561 वनाधिकार दावे प्राप्त हुए थे। इनमें 25,42,359 दावों के तहत अधिकार पत्र वितरित किए गए, 18,13,232 दावे खारिज हुए और 10,45,970 लंबित थे। ये आंकड़े राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मासिक प्रगति रिपोर्ट में आधारित थे। कोलकाता सम्मेलन से संबंधित विवरण में 31 अगस्त 2026 तक की स्थिति को मोटे तौर पर 54 लाख से अधिक प्राप्त दावों, लगभग 25 लाख जारी अधिकार पत्रों, करीब 11 लाख लंबित दावों और 18 लाख से अधिक खारिज दावों के रूप में बताया गया। जून और अगस्त की स्थितियां अलग-अलग तारीखों की हैं, इसलिए दोनों को एक ही समय के आंकड़े मानना उचित नहीं होगा। हालाँकि, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

देशभर में लाखों दावों का लंबित रहना केवल प्रशासनिक आंकड़ा नहीं है। हर लंबित दावे के पीछे एक परिवार, उसकी आजीविका और उसके भविष्य का सवाल हो सकता है। इसी तरह, किसी दावे का खारिज होना भी अपने आप में अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। यह जानना जरूरी है कि दावे किन कारणों से अस्वीकृत हुए, क्या आवेदकों को निर्णय की जानकारी मिली और क्या उन्हें अपील या पुनर्विचार का अवसर दिया गया। आवेदन का निपटारा कर देना और न्याय सुनिश्चित करना अलग-अलग बातें हैं।

वनाधिकार अधिनियम ने स्वीकार किया कि अनुसूचित

जनजातियों और दूसरे परंपरागत वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है तथा उनके परंपरागत अधिकारों को पर्याप्त कानूनी मान्यता नहीं मिली। इस कानून का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत जमीन पर अधिकार देना नहीं, बल्कि समुदायों के परंपरागत वन संसाधनों पर अधिकारों को भी पहचानना है। इसके बावजूद क्रियान्वयन में व्यक्तिगत अधिकार पत्रों पर ध्यान केंद्रित रहने और सामुदायिक अधिकारों को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिलने का सवाल उठता रहा है।

दूरदराज के गांवों में रहने वाले वनवासियों के पास पुराने भूमि दस्तावेज हमेशा उपलब्ध नहीं होते। कई बार वन विभाग और राजस्व विभाग के अभिलेखों में जमीन की सीमाओं और उपयोग को लेकर अंतर होता है। ऐसी स्थिति में केवल कागजी साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेना कानून के उद्देश्य को कमजोर कर सकता है। स्थानीय परंपराओं, उपलब्ध साक्ष्यों और जमीन के परंपरागत उपयोग को समझना भी जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि जांच की जरूरत समाप्त हो जाए, बल्कि यह है कि जांच की प्रक्रिया न्यायपूर्ण हो और दस्तावेजों की कमी के कारण पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रह जाए।

वनाधिकार कानून के तहत व्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के बीच अंतर समझना जरूरी है। व्यक्तिगत वनाधिकार पात्र परिवारों के मान्य अधिकारों से संबंधित है। सामुदायिक वनाधिकार के अंतर्गत गांव के लोगों के परंपरागत उपयोग से जुड़े संसाधनों और अधिकारों को मान्यता मिल सकती है। इनमें लघु वनोपज, चराई, जलस्रोतों और दूसरे पारंपरिक संसाधनों के उपयोग से जुड़े अधिकार शामिल हो सकते हैं।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जिसे संक्षेप में सीएफआरआर कहा जाता है, ग्रामसभा को परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले वन क्षेत्र के संरक्षण, पुनर्जीवन और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका देता है। सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार आपस में संबंधित हैं, लेकिन दोनों एक ही श्रेणी नहीं हैं।

क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलन से संबंधित विवरण के अनुसार, 30 जून 2026 तक देश में 19,845 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता प्राप्त थे। यह संख्या सीएफआरआर से संबंधित है, सभी प्रकार के सामुदायिक वनाधिकारों की कुल संख्या नहीं। इसके बावजूद यह सवाल महत्वपूर्ण है कि कितनी ग्रामसभाएं अपने परंपरागत वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में इन अधिकारों का वास्तविक इस्तेमाल कर पा रही हैं।

जंगल पर निर्भर समुदायों की आजीविका महुआ, शहद, औषधीय पौधों, जलस्रोतों और चराई जैसे संसाधनों से जुड़ी होती है। व्यक्तिगत अधिकार पत्र मिलने से पूरे गांव के परंपरागत वन संसाधनों पर सामूहिक अधिकार अपने आप सुनिश्चित नहीं हो जाता। ग्रामसभा को केवल आवेदन तैयार करने या दस्तावेज प्रमाणित करने वाली संस्था समझना कानून की भावना के विपरीत होगा। उसे निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और वन संसाधनों के संरक्षण तथा प्रबंधन में प्रभावी भूमिका मिलनी चाहिए।

भूमि और वन अधिकारों के सवाल पर गांधीवादी कार्यकर्ता तथा एकता परिषद के संस्थापक पी. वी. राजगोपाल का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उनका जनांदोलन इस विचार पर आधारित रहा है कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच गरीबों, आदिवासियों तथा वंचित समुदायों की आजीविका और गरिमा से जुड़ी है। इस दृष्टिकोण में वन संरक्षण और समुदायों के अधिकारों को परस्पर विरोधी मानने की जगह उनके बीच संतुलन बनाने पर जोर है।

वास्तव में, जंगलों की रक्षा के नाम पर स्थानीय समुदायों को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना न तो न्यायसंगत है और न ही टिकाऊ संरक्षण के हित में। सदियों से जंगलों के साथ रहते आए समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और अनुभव को नज़रअंदाज करके वन संरक्षण की कल्पना अधूरी है।

राजधानी दिल्ली में आर-पार की जंग, न्यायपालिका कसौटी पर

नहीं हुआ। हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट द्वारा जो

भी आदेश पारित किए गए, उसमें सरकार के लिए एक चोर दरवाजा खोल दिया गया। इस चोर दरवाजे से सरकार बाहर निकलकर वह सब काम करती रही, जो वह करना चाहती हो। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार के दिन विशेष सुनवाई

की, उसके पहले भी जो सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका पालन दिल्ली पुलिस ने नहीं किया। हर आदेश में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट कानून व्यवस्था के नाम पर अथवा आधा अधूरा फैसला देकर सरकार के लिए रास्ता छोड़ देती हैं। इसका दुरुपयोग सरकार और उसकी एजेंसियां कर रही

गईं। व्यापार संगठनों का अनुमान है कि करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हुआ है। यह कैसी जन-व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा है कि नागरिक ही पिस रहा है? यह धारणा मोदी सरकार के खिलाफ भी जा सकती है। अंततः हम सभी लोकतंत्र का हिस्सा हैं। क्या प्रदर्शनकारी कांक्रोच इतने खतरनाक और ताकतवर आंके गए हैं कि राजधानी दिल्ली को बंद, लगभग ठप, करने की नौबत आ गई? कांक्रोच जनता पार्टी काई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल नहीं है, कुटिब और महत्वाकांक्षी युवाओं का समूह भर है, लेकिन युवाओं, खासकर जेन-जी, को एक ऐसा मंच मिल चुका है, जहां से वे अपना आक्रोश, गुस्सा और अपने मुद्दों को बर्षा कर सकते हैं।

वनाधिकार कानून: कागज पर हक, जमीन पर इंतजार

व्यावहारिक इस्तेमाल की निगरानी भी होनी चाहिए। बिहार में सामुदायिक दावों का शून्य होना सवाल खड़े करता है

बिहार की स्थिति इस संदर्भ में विशेष रूप से विचारणीय है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जून 2026 तक राज्य में 4,696 वनाधिकार दावे प्राप्त हुए थे। इनमें 191 दावों के तहत अधिकार पत्र जारी किए गए, 4,496 दावे खारिज हुए और नौ लंबित थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आंकड़ों में कोई सामुदायिक वनाधिकार दावा दर्ज नहीं था। जारी किए गए सभी 191 अधिकार पत्र व्यक्तिगत वनाधिकार की श्रेणी में थे।

बिहार में सामुदायिक वनाधिकार के दावों का शून्य होना गंभीर समीक्षा की मांग करता है। क्या संभावित पात्र समुदायों तक कानून की जानकारी पहुंची? क्या ग्रामसभाओं को दावे तैयार करने और जरूरी साक्ष्य जुटाने में सहायता मिली? क्या परंपरागत वन संसाधनों पर निर्भर गांवों की पहचान की गई? इन सवालों का जवाब गांव और जिला स्तर पर जांच के बाद ही मिल सकता है। सामुदायिक दावों का शून्य होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि राज्य में ऐसे अधिकारों के पात्र समुदाय नहीं हैं। यह जागरूकता, पात्रता की पहचान और प्रशासनिक प्रक्रिया की समीक्षा की जरूरत की ओर भी संकेत करता है।

इसी तरह, बिहार में 4,496 दावों का खारिज होना भी गंभीर सवाल उठता है। राज्य सरकार को अस्वीकृति के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र परिवार केवल प्रक्रियागत कमियों के कारण अपने अधिकार से वंचित न रहें। वन, राजस्व और जनजातीय कल्याण विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के साथ ग्रामसभाओं को जरूरी कानूनी तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

झारखंड के आंकड़ों में अंतर दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग कार्ययोजना की जरूरत बताता है। झारखंड में सामुदायिक दावों और अधिकार पत्रों की मौजूदगी के बावजूद उनके प्रभावी इस्तेमाल, लंबित मामलों और समन्य-सीमा तय हो और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। खारिज दावों की समीक्षा और पात्र परिवारों के लिए अपील की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों के आंकड़े अलग-अलग सार्वजनिक किए जाने चाहिए। कितने दावे प्राप्त हुए, कितने स्वीकार किए गए, कितने खारिज हुए, कितने लंबित हैं और कितने मान्य अधिकार सरकारी अभिलेखों में दर्ज हुए—इनकी निर्यात जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। लंबित मामलों के निपटारे के लिए समन्य-सीमा तय हो और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। खारिज दावों की समीक्षा और पात्र परिवारों के लिए अपील की प्रभावी व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

कोलकाता सम्मेलन की असली सफलता इसी से तय होगी कि लंबित दावों पर समयबद्ध नियंत्रण शुरू या नहीं, गलत तरीके से खारिज मामलों की समीक्षा हुई या नहीं, ग्रामसभाओं को वास्तविक अधिकार मिले या नहीं और वनाधिकार पत्रों का लाभ संबंधित परिवारों तक पहुंचा या नहीं। समीक्षा का उद्देश्य केवल प्रशासनिक प्रगति दर्ज करना नहीं, बल्कि कानून की मूल भावना को जमीन पर उतराना होना चाहिए। वनाधिकार कानून का सवाल केवल जमीन का नहीं, सम्मान, आजीविका और लोकतांत्रिक न्याय का भी है।

संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनके बारे में एक धारणा बन गई है, वह सब एक विचारधारा के लोग हैं। जिन्हें सुनियोजित रूप से प्रमुख पदों पर बिठाया गया है। यहां तक कि स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी जो नियुक्तियां पिछले वर्षों में की गई हैं, वह भी एक विचारधारा के लोगों की हैं। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार में भी यह चर्चा होने लगी है। भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े एक विचारधारा के लोग है। उन्हें ही सरकारी वकील और जजों के रूप में नियुक्त किया गया है।

सन्त जैन भारत की राजधानी दिल्ली जंग का मैदान बन गया है। इस जंग में विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ-साथ कांक्रोच, वकील, पत्रकार और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, इतनी जल्दी इतनी तेजी के साथ इस तरह की जंग के हालात बनेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सत्ता की लड़ाई भागी जा सकती है, लेकिन आम आदमी, अधिवक्ता, पत्रकार, युवा और बच्चे यदि इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं, तो यह समझना होगा कि कहीं कोई ना कोई बात तो है, जो इतने बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर आकर अपने अस्तित्व के लिये यह लड़ाई लड़ रहे हैं। रामायण में गोव्यामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, समर्थ को नहीं दोष गुआई, होई वही जो राम रचि राखा। राजधानी दिल्ली में जिस तरह के हालात बने हुए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं सरकार के पक्ष में आकर खड़ी हो गई हैं। यह सरकार की समर्थता है। सरकार को दोष भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अब लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर एकजुट हो रहे हैं। यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हैं, उनके बारे में एक धारणा बन गई है, वह सब एक विचारधारा के लोग हैं। जिन्हें सुनियोजित

रूप से प्रमुख पदों पर बिठया गया है। यहां तक कि स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालयों में भी जो नियुक्तियां पिछले वर्षों में की गई हैं, वह भी एक विचारधारा के लोगों की हैं। अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार में भी यह चर्चा होने लगी है। भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े एक विचारधारा के लोग है। उन्हें ही सरकारी वकील और जजों के रूप में नियुक्त किया गया है। पिछले कुछ वर्षों से न्यायपालिका भी सरकार को बचाने का काम कर रही है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, वह सब सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लिये अलग और विपक्ष के लिये अलग नियम-कानून नहीं। लोगों को कहीं से भी न्याय मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जिसके कारण अब सड़कों पर जंग की स्थिति देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उसके बाद एसआईआर, चुनाव के पूर्व एवं चुनाव के दौरान भी भी मामले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उन सब मामलों में न्यायपालिका ने सरकार को प्रत्यक्ष रूप से फेवर किया है। तारीख पर तारीख बढ़ाकर मामले को टाल दिया गया, पर तारीख बढ़ाकर मामले को टाल दिया गया, सरकारी चो चाहती थी, वह उसमे कर लिया, संविधान और कानून का कोई पालन



सारे विपक्षी नेता राष्ट्रपति सहित हर दरवाजे को खटखटाकर आ गए हैं। अब अंतिम दरवाजा न्यायपालिका का है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, मुख्य न्यायाधीश ने नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी सांसदों से मिलने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। उससे आम जनता को न्याय मिलात हुआ दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है, उसका पालन ना तो दिल्ली पुलिस कर रही है, नाही केंद्र सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के प्रति अविश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल जिस तरह का पक्षपात कर रहा है। बांग्नी खराज के नेतृत्व में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन प्रतिबंधित स्थान पर हो रहा है। दिल्ली पुलिस चुप है। वर्तमान स्थिति को जल्द नहीं संपाला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश सरकार मानेगी? इसको लेकर सभी के दिमाग में संदेह उत्पन्न हो रहा है। दिल्ली प्रेस क्लब में दिल्ली पुलिस घुस गई। आगे आने वाले दिन कैसे होंगे, भगवान ही मालिक है। जिस तरह के हालात बन गये हैं, वह एक तरह से गृह युद्ध जैसे हैं। यदि ऐसा हुआ, तो इसका बड़ा भारी नुकसान होगा तय है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की साख दांव पर लगी हुई है, उसको देखते हुए यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है, आने वाले समय में भारत को भारी दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा।

संक्षिप्त समाचार

उर्मिला नदी में 10 फीट गोता लगाकर निकाल रहे बालू



मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर के लवकुशनगर थाना क्षेत्र में उर्मिला नदी के हंसपुरा घाट पर मजदूर जान जोखिम में डालकर बालू निकाल रहे हैं। वे नदी के 5 से 10 फीट गहरे पानी में गोता लगाकर हाथों से तसलों में रेत भरते हैं। मजदूर सांस रोककर नदी की तलहटी से बालू निकालते हैं। फिर पानी से बाहर आकर सांस लेते हैं और दोबारा गोता लगाकर भरे तसलों को ऊपर लाते हैं। इस तरह बालू निकालकर नदी किनारे जमा की जाती है। पानी की गहराई और बहाव के बीच यह काम मजदूरों के लिए खतरनाक है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं दिख रहे। क्षेत्र में नियमों के खिलाफ बालू निकालने के आरोप हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में गोयरा थाना क्षेत्र में बालू विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। घायल व्यक्ति ने पुलिस-प्रशासन पर अवैध खनन को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। इसके बावजूद क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं हुई।

मजदूरों की सुरक्षा-निगरानी पर सवाल: नदी में गोता लगाकर बालू निकालने की इस प्रक्रिया में किसी दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की जान पर गंभीर खतरा हो सकता है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस और प्रशासन से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। मामले में संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

रायसेन में 300 मिमी कम बारिश, धान सूखने लगी



गेहूँ का रकबा 71 हजार हेक्टर पर घटेगा, चने की बोवनी बढ़ाने का लक्ष्य

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले में इस साल सामान्य से करीब 300 मिलीमीटर कम बारिश हुई है, जिससे खेती और जलस्रोतों पर असर दिख रहा है। धान की फसल को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, वह सूखने और पीली पड़ने लगी है। सिंचाई के लिए बिजली कटौती ने किसानों को परेशानी बढ़ा दी है। सांची रोड स्थित कोड़ी नदी का पानी थम गया है, वहीं बेतवा नदी का जलस्तर भी घट गया है। कृषि वैज्ञानिक स्वप्निल दुबे के अनुसार, धान में बालिया निकलने के समय दो इंच पानी या पर्याप्त नमी जरूरी है, ताकि उत्पादन प्रभावित न हो। कम बारिश से ट्यूबवेल सिंचाई बढ़ी, बिजली खपत 60 लाख से 84-85 लाख यूनिट तक पहुंच गई। आपूर्ति कम होने से बिजली कंपनी कटौती कर रही है; किसानों को 10 घंटे की बहाद तीन घंटे भी बिजली नहीं मिल रही। बारना डैम से नहरें अगले पांच दिन में बंद होंगी, जिससे रबी सीजन में सिंचाई का संकट गहरा सकता है। गेहूँ का रकबा घटेगा, चने की बोवनी बढ़ेगी बारिश को देखते हुए कृषि विभाग ने रबी सीजन 2026-27 में फसलवार रकबे में बदलाव किया है।

सफलता की कहानी सरकारी सहयोग और मेहनत से संघारा भविष्य, डेयरी व्यवसाय से बढ़ी हितेंद्र सिंह दांगी की आय

मीडिया ऑडीटर,विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के ग्राम श्यामपुर गुदावल के युवा किसान श्री हितेंद्र सिंह दांगी ने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद उन्होंने सरकारी सहयोग और स्वयं के निवेश से डेयरी व्यवसाय शुरू किया। आज दो भैंसों से प्रतिदिन लगभग 14 लीटर दूध उत्पादन कर वे नियमित आय अर्जित कर रहे हैं। उनकी सफलता ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। ‘आप डूध दे मजबूत हों और सरकार का सहयोग मिल जाए, तो गांव में रहकर भी आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की जा सकती है।’ यह बात विदिशा जिले की कुर्वाई तहसील के ग्राम श्यामपुर गुदावल के युवा किसान श्री हितेंद्र सिंह दांगी ने अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाई है।

रतलाम में जहरीली शराब तस्करी, चोरी की छह बाइक बरामद

कंजर गिरोह से पूछताछ में 17 वारदातें खुलीं, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा



मामले में ताल थाने में केस दर्ज किया गया। जब्त बाइक के संबंध में पूछताछ की गई तो आरोपियों ने उसे ग्राम भाटखेड़ा से चोरी करना स्वीकार किया। इस चोरी का मामला कालूखेड़ा थाने में दर्ज है। पूछताछ में दोनों ने अपने साथी लखन कंजर के साथ मिलकर 16 बाइक और एक महिंद्रा लोडिंग वाहन चोरी करने की बात कबूली।

सागर में वन अमले पर हमला, ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश

रात के अंधेरे में वन भूमि पर कर रहे थे जुताई, टीम ने रोका तो पथराव किया, डंडों से पीटा

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर के शाहगढ़ वन परिक्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण रोकने पहुंची टीम पर रविवार देर रात हमला कर दिया गया। छोटे बंधा के पास कुछ लोग रात के अंधेरे में वन विभाग की जमीन पर ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण रोकने के साथ ट्रैक्टर ज्वत् करने की कार्रवाई शुरू की। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने वनकर्मियों से विवाद करते हुए डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में उप वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र तिवारी और वन पाल नारायण सिंह पलिया घायल हुए हैं। तिवारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ट्रैक्टर ज्वत् करने के दौरान हुआ विवाद: वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जुताई रोकने और ट्रैक्टर ज्वत्



करने का प्रयास किया। इसी दौरान टीम और आगे बढ़ते का र्मच उपलब्ध कराए दिव्यांगजनों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक सहभागिता जरूरी है आयोजक महाबली गौतम एवं आयोजन मंडल ने कार्यक्रम में शामिल हुए जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया आयोजन को सेवा और सामाजिक सरोकरों से जोड़ते हुए दिव्यांगजनों के सम्मान को महत्वपूर्ण बताया गया।

वई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता हुए शामिल: कार्यक्रम में वरिष्ठ विधायक नांदे सिंह, सिसौर विधायक दिव्यांग सिंह, मगवां विधायक नंद प्रजापति, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मऊगंज भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया सिंह सहित वई जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।

उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

3 आरोपियों पर मामला दर्ज: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वन विभाग की शिकायत पर शाहगढ़ पुलिस ने निवासी हरिराम यादव, अमित यादव और हेरंद यादव के खिलाफ मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है।

टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश का वीडियो सामने आया: घटना से जुड़ एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वन विभाग की टीम ट्रैक्टर ज्वत् करने की कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठकर उसे आगे बढ़ा देता है। इससे वन विभाग की टीम के कर्मचारी बाल-बाल बचते नजर आ रहे हैं।

दिव्यांगजन सम्मान समारोह में सेवा, समर्पण और सशक्तीकरण का संदेश



मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, समर्पण और जनकल्याण के संकरूप से प्रेरित होकर महाबली गौतम द्वारा दिव्यांगजन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सहभागिता की समारोह का उद्देश्य दिव्यांगजनों के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना रहा आयोजन के दौरान दिव्यांगजनों को समाज की

मुख्यधार से जोड़ने, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और जनकल्याण के संकरूप से प्रेरणा लेते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग के सम्मान और उन्नयन के लिए निरंतर प्रयास करना सभी का दायित्व है।

सम्मान और समान अवसर पर जोर: समारोह में दिव्यांगजनों के लिए सम्मानजनक एवं अनुकूल वातावरण तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया कहा गया कि एक संवेदनशील और समावेशी समाज की पहचान

मऊगंज में अंतरविद्यालयीन क्रिकेट प्रतियोगिता 13 अक्टूबर से, 19 स्कूलों की टीमें लेंगी हिस्सा

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मऊगंज जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में सत्र 2026-27 की जिला स्तरीय अंतरविद्यालयीन क्रिकेट प्रतियोगिता 13 अक्टूबर से शुरू होगी प्रतियोगिता में क्षेत्र के 19 विद्यालयों की टीमें हिस्सा लेंगी सभी मुकाबले कलेक्टरेट ग्राउंड, मऊगंज में आयोजित किए जाएंगे प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 23 अक्टूबर को खेला जाएगा जिला क्रिकेट संघ के सचिव संजय तिवारी ने बताया कि विद्यालय स्तर पर क्रिकेट प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और विद्यार्थियों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है इसमें विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे प्रतियोगिता में शामिल टीमों को पूल-ए और पूल-बी में विभाजित किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन सुबह 9 बजे और दोपहर 1 बजे मैच खेले जाएंगे शुरूआती मुकाबलों के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल आयोजित किए जाएंगे पूरी प्रतियोगिता में कुल 18 मैच खेले जाने हैं।

रीवा की बदहाल सड़कों के खिलाफ आप का एक माह का जन-जागरूकता अभियान शुरू

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। शहर की बदहाल और जर्जर सड़कों की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक माह का जन-जागरूकता अभियान शुरू किया है अभियान के पहले दिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौहरे पर पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से आम नागरिकों का ध्यान सड़क की समस्याओं की ओर आकर्षित किया पार्टी का उद्देश्य खराब सड़कों की स्थिति को जनता और शासन-प्रशासन के सामने लाना तथा जल्द मरम्मत और सुधार कार्य कराने की मांग उठाना है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज चौहरे पर शाम 5 बजे से 6 बजे तक अभियान चलाया इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और स्लोगन लेकर खड़े रहे और राहगीरों को शहर की जर्जर सड़कों से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया पार्टी के अनुसार अभियान के दौरान आम नागरिकों का सकरात्मक सहयोग मिला लोगों ने सड़क की समस्या को गंभीर बताते हुए इस पहल के प्रति समर्थन जताया।

गड्डों से आवागमन प्रभावित होने का आरोप: पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि रीवा शहर की कई सड़कों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है जगह-जगह गड्डों और जर्जर सड़क के कारण वाहन चालकों सहित आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है खराब सड़कों से रोजाना गुजरने वाले लोगों को असुविधा होती है इसके बावजूद सड़क सुधार के लिए प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता बनी हुई है कार्यकर्ताओं ने मांग की



कि संबंधित विभाग और प्रशासन शहर की सड़कों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति का आकलन करें जिन सड़कों पर गड्डे और अन्य क्षति है, वहां प्रथमिकता के आधार पर मरम्मत कराई जाए। साथ ही, सड़क सुधार कार्यों की नियमित निगरानी की जाए ताकि नागरिकों को रहत मिल सके।

एक माह तक अलग-अलग स्थानों पर चलेगा अभियान: आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि सड़क की समस्या को लेकर यह अभियान केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा आगामी एक माह तक शहर के अलग-अलग स्थानों पर जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी इस दौरान पोस्टर, स्लोगन और अन्य लोकतांत्रिक माध्यमों से सड़क की बदहाली का मुद्दा उठया जाएगा पार्टी का प्रयास रहेगा कि नागरिकों की समस्या प्रशासन तक पहुंचे और सड़क सुधार की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मुयमंत्री ने सिंगल लिफ्ट से 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों को जारी किए 213.41 करोड़ रुपये

जिले के 45,528 हितग्राही लाभान्वित, प्रतिमाह 2 करोड़ 79 लाख 16 हजार 800 रुपये की आर्थिक सहायता जारी

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा आज नरसिंहपुर जिले से सिंगल लिफ्ट के माध्यम से राज्य शासन की विभिन्न पेंशन योजनाओं के 35 लाख से अधिक हितग्राहियों को सितंबर 2026 की पेंशन राशि सिंगल लिफ्ट से जारी की गई है। अक्टूबर माह में मुगतान की जाने वाली इस पेंशन राशि के अंतर्गत कुल 213.41 करोड़ रुपये का हितलाभ अंतरित किया गया। मध्यप्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा समाज के निर्धन, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों के आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र वृद्धजनों, कल्याणियों, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं तथा दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 600 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

वेबकास्ट के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हितग्राही: मुख्यमंत्री द्वारा नरसिंहपुर में आयोजित पेंशन राशि वितरण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में हितग्राहियों को वेबकास्ट के



माध्यम से जोड़ने के निर्देश दिए गए थे, जिससे वे राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता कर सकें हें। विदिशा जिला मुख्यालय के साथ साथ सभी ग्राम पंचायतों में उक्त आयोजन का सीधा प्रसारण देखा सुना गया है। जिला स्तरीय कार्यक्रम श्री हरि वृद्धाश्रम में आयोजित किया गया था। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जिले के 45,528 हितग्राही लाभान्वित, प्रतिमाह 2 करोड़ 79 लाख 16 हजार 800

रुपये की आर्थिक सहायता जारी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के उप संचालक ने बताया है कि विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं से वित्तीय वर्ष में कुल 45,528 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। इन हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रतिमाह कुल 2 करोड़ 79 लाख 16 हजार 800 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत पात्र

सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना: 23,930 हितग्राही। कन्या अभिभावक पेंशन योजना: 944 हितग्राही।मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना: 45 हितग्राही। सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना: 419 हितग्राही।सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना: 4,308 हितग्राही। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन वृद्धाश्रम, सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना तथा दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पात्र हितग्राहियों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

योजनावार हितग्राहियों की स्थिति: जिले में योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या इस प्रकार है- मंदबुद्धि/बहुविकलांगजनों को आर्थिक सहायता: 2,123 हितग्राही।मुख्यमंत्री

